

**कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान**

पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)

दूरभाष : 0761–2665540, फैक्स : 0761–2661304

email: mpsfri@mp.gov.in, mpsfri@gmail.com Website : [www.mpsfri.org](http://www.mpsfri.org)

NIT No/SFRI/Store/4/1386

Jabalpur, Dated 24/05/2022

ई—निविदा Website : <https://mptenders.gov.in>

**वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु (Hiring of Vehicel for Monthly)**

संस्थान को मासिक किराये पर वाहन प्रदाय हेतु ई—निविदा <https://mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र <https://mptenders.gov.in> वेबसाईट पर दिनांक 27 / 05 / 2022 से उपलब्ध होगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी, अन्य माध्यम से प्रस्तुत निविदा आमन्य रहेंगी। ई—निविदा हेतु विवरण निम्नानुसार है :

Tender Fee in Rs.	:	3000/-
EMD in Rs.	:	10000/-
Published Date	:	27/05/2022 15.00 hrs.
Document Download / Sale Start Date	:	27/05/2022 15.00 hrs.
Document Sale End Date	:	17/06/2022 18.00 hrs.
Bid Submission Start Date	:	27/05/2022 15.00 hrs.
Bid Submission End Date	:	17/06/ 2022 18:00 hrs.
Bid Opening Date	:	22/06/ 2022 12.00 hrs.

कृपया निविदाकार निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान से पढ़कर

भरें।

**संचालक**

राज्य वन अनुसंधान संस्थान

जबलपुर (म.प्र.)

**निविदा प्रपत्र**  
**किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु निविदा प्रपत्र**

1. वाहन मालिक /ट्रैक्स का नाम एवं पता .....
2. वाहन मालिक /ट्रैक्स का पता .....
- दूरभाष नं./मोबाइल नं. ....
- ईमेल: .....
3. (i) वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयन क्रमांक(GSTIN) .....
- (ii) आयकर विभाग का PAN क्रमांक .....
4. निविदाकार के द्वारा राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर हेतु जिस वाहन की दरें प्रस्तुत की जा रही है, उसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दर्शित करें। (प्रपत्र 1 के अनुसार)

क्र.	कार्यालय का नाम	वाहन मालिक का नाम (यदि साझा फर्म है तो पार्टनरशिप डीड संलग्न करें )	वाहन का मेक वर्ष	वाहन का मॉडल/वर्ष	वाहन का पंजीयन क्रमांक
1	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर				

5. वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN) एवं आयकर विभाग PAN की छायाप्रति संलग्न करें।
6. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक \_\_\_\_\_ (रजिस्ट्रेशन, कम्प्रेहेन्सिव बीमा, रोड टैक्स चुकता प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति संलग्न करें)
7. मासिक किराये की दर \_\_\_\_\_ रु. प्रति माह—अलग—अलग वाहनों हेतु (समस्त टैक्स, वाहन चालक सहित प्रस्तुत की जावे)
8. संलग्न प्रतिभूति राशि का विवरण .....  
  1. बैंक का नाम .....
  2. शाखा का नाम/IFSC कोड .....
  3. बैंक ड्राफ्ट क्रमांक .....
  4. राशि अंकों में .....
  5. राशि शब्दों में .....

दिनांक .....

निविदाकार के हस्ताक्षर  
निविदाकार का नाम एवं पता .....  
.....  
दूरभाष क्रमांक .....

**कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान  
पोलीपाथर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर – 482008 (म.प्र.)**

---

**निविदा प्रपत्र भरने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश**

- (1) किराये के वाहन प्रदाय हेतु निविदाकार के पास में स्वयं के स्वामित्व की ट्रैवल्स एजेन्सी/मालिकाना फर्म होना चाहिये।
- (2) संचालक को किसी या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (3) निविदाकार द्वारा विगत 03 वर्षों में शासकीय संस्थाओं में दी गई सेवाओं की जानकारी संलग्न करें।
- (4) सफल निविदाकार की निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक सप्ताह के अंदर संस्थान के साथ अनुबंध निष्पादित करना होगा। निर्धारित समयावधि में करानामा निष्पादित नहीं करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए निविदाकार को संस्थान की काली सूची में तीन वर्षों के लिए दर्ज किया जावेगा। यह अनुबंध निविदा की स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिए होगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित प्रदाय दरों पर किराये के वाहन प्रदाय करने हेतु बाध्य होंगे।
- (5) निविदाकार निविदा निम्नानुसार ऑनलाइन जमा करेंगे।

**Envelope A – (i) प्रतिभूति राशि (EMD)**

निविदाकार को निविदा के साथ निविदा में दर्शित (1) प्रतिभूति राशि (EMD) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक, (2) वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन क्रमांक (GSTIN), (3) आयकर विभाग का PAN की छायाप्रति (4) अनुभव प्रमाण पत्र एवं (5) हस्ताक्षरित निविदा शर्तें संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जावेगी। सफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि अनुबंध अवधि तक के लिए संस्थान में जमा रहेगी।

निविदा के साथ प्रतिभूति राशि रु. 10,000/- का ड्राफ्ट जो संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय हो संलग्न की स्केन कॉपी अपलोड करें।

**(ii) Bidders Agreement Form (संलग्न-1)**

**Envelope B – (i) BOQ—निविदाकार द्वारा किराये के वाहनों हेतु प्रस्तावित दरें (संलग्न-2)**

- (6) (i) सर्वप्रथम Envelope A निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोला जावेगा एवं संलग्न अभिलेखों का मूल्यांकन किया जावेगा। यदि Envelope A में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं हैं, ऐसी स्थिति में Envelope B नहीं खोला जावेगा। तत्पश्चात निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपयुक्त पाये निविदाकारों के Envelope B (BOQ) खोला जावेगा।

- (ii) प्राप्त निविदाओं में से सामान्यतः न्यूनतम दर वाली निविदा स्वीकृत की जावेगी। फिर भी निविदा को मान्य/अमान्य करने का पूरा अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जावेगा। प्रस्तुत की जाने वाली निविदाओं में उपरोक्त शर्तों से भिन्न कोई शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- (7) इस सूचना से संबंधित कार्यों से उत्पन्न मतभेद/विवाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही मान्य होगा। उपरोक्त निविदा शर्त मुझे मान्य हैं।

दिनांक :

स्थान :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

निविदाकार का नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

फोन नं. ....

## मासिक किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु निविदाकार का घोषणा पत्र

एतद् द्वारा मैं ——————

(निविदाकार का नाम) पुत्र ——————

आयु —————— वर्ष —————— निवासी ——————

### वाहनों की सूची रजिस्ट्रेशन क्रमांक सहित :-

मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा जिस कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है, उस कार्य से संबंधित मुख्य एवं अन्य सभी सामान्य शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ ली गई हैं एवं सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं।

दिनांक —————— निविदाकार के हस्ताक्षर ——————

नाम एवं पता ——————

फोन नं. लैंडलाईन ——————

मोबाइल नं. ——————

## मासिक किराये पर वाहन लेने हेतु अनुबंध (करारनामा)

\_\_\_\_\_ (प्रथम पक्ष) व कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान,  
जबलपुर (द्वितीय पक्ष)।

1. वाहन चालक प्रथम पक्ष का रहेगा जिसके पास नियमानुसार फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किये जायेंगे।
2. प्रथम पक्ष का वाहन चालक, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखेगा।
3. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
4. डीजल, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क आदि द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।
5. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय के बाहर वाहन के उपयोग में न्यूनतम दूरी का बंधन नहीं रहेगा।
6. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा तथा द्वितीय पक्ष के संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का भी उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा।
7. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब, बेट्री, अच्छी हालत में होना चाहिए। माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. वाहन खराब होने की स्थिति में द्वितीय पक्ष द्वारा वाहन के ठीक होने का 2 घंटे तक इंतजार किया जायेगा, इससे अधिक समय लगने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी एवं दूसरे वाहन को किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली प्रथम पक्ष से की जायेगी।
9. अनुबंध समाप्ति हेतु किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना दी जायेगी।
10. माह में दो बार वाहन रख-रखाव हेतु प्रथम पक्ष को सौंपा जा सकेगा।
11. वाहनों की संख्या में बजट की उपलब्धता के आधार पर बदलाव किया जा सकता है।
12. वाहन किराया माह की समाप्ति के पश्चात् अगले माह के प्रथम सप्ताह के अंदर भुगतान किया जा सकेगा।
13. वाहन चालक 24 घंटे के लिये कार्य पर उपलब्ध होगा। इस हेतु दो चालकों की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। वाहन चालक के अवकाश पर होने की स्थिति में दूसरे वाहन चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
14. किराये के जो वाहन होंगे परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
15. ट्रेवल एजेंसी का आयकर एवं सेवाकर देने वाला होना अनिवार्य है। इस हेतु यथा आवश्यक पंजीयन प्रथम पक्ष के पास होना आवश्यक है।
16. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख-रखाव की जिम्मेदार प्रथम पक्ष की होगी।
17. वाहन की लॉगबुक के प्रमाणिकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
18. प्रथम पक्ष की सेवायें संतोषजनक होने पर अनुबंध की अवधि आपसी सहमति से स्वीकृत दरों पर बढ़ाई जा सकेगी।
19. वाहन की दुर्घटना तोडफोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा।

20. समय पर वाहन उपलब्ध न होने पर अथवा वाहन चालक के संतोषजनक व्यवहार न होने पर समानुपात में भुगतान में कटौती की जावेगी।
21. किराये पर लिये गये वाहन की समयावधि में वृद्धि एवं कटौती तथा वाहन सेवा निरस्त करने का समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष को रहेगा।
22. चालक समय का पाबंद रहेगा। ड्यूटी के दौरान मदिरा का सेवन नहीं करेगा। वाहन चालक व्यवहारकृशल रहेगा।
23. सभी प्रकार के टैक्स, मोटर यान कर, बीमा आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा।
24. वाहन का औसत कम से कम 10 कि.मी. प्रति लीटर होना आवश्यक है, इससे कम औसत का वाहन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

---



---



---

**संचालक**

राज्य वन अनुसंधान संरथान,

जबलपुर (म.प्र.)

(द्वितीय पक्ष)

**(प्रथम पक्ष)**

वाहन मालिक / चालक

फोन नं. लैंडलाईन

मोबाईल नं.

**कार्यालय संचालक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (वर्ष 2022–23) हेतु**  
**वाहन मासिक किराये पर लेने हेतु नियम एवं शर्तें**

कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर हेतु किराये के लिये नियम / शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

**नियम / शर्तें**

1. निविदा मे प्रस्तावित वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र, स्वामित्व प्रमाण—पत्र एवं बीमा की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना आवश्यक है।
2. वाहन चालक की व्यवस्था निविदाकार, जिसे आगे प्रथम पक्ष लिखा जावेगा, द्वारा किया जावेगा। वाहन चालक के पास फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है। वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किये जायेंगे।
3. प्रथम पक्ष का वाहन चालक, बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि कागजात हमेशा वाहन में रखेगा। वाहन से संबंधित समस्त कर के भुगतान का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
4. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा।
5. प्रस्ताव मान्य होने पर वाहन प्रतिमाह बिना किसी अवकाश के प्रतिदिन वाहन चालक सहित विभाग को उपलब्ध कराना होगा।
6. वाहन, डीजल वाहन होना चाहिए, जिसका मॉडल 2019 से वर्तमान तक मान्य होगा।
7. किराये के वाहन का बीमा, सड़क सुरक्षा प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, वाहन के व्यावसायिक उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायरेस/प्रमाण पत्र प्राप्त करने व रोड टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
8. वाहन की बैटरी अच्छी हालत में एवं मार्झलोमीटर सदैव चालू हालत में होना अनिवार्य है।
9. डीजल, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क आदि कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर जिसे आगे द्वितीय पक्ष लिखा जावेगा द्वारा वहन किया जावेगा।
10. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ते की पात्रता नहीं होगी। वेतन, यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा ही किया जावेगा।
11. वाहनों की संख्या में बजट की उपलब्धता के आधार पर बदलाव किया जा सकता है।
12. उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार की मरम्मत, सुधार कार्य, टायर-ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
13. किराये पर लिए गए वाहन की सेवाएँ संतोषजनक नहीं होने पर किसी भी समय वाहन कार्य से पृथक करने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।
14. वाहन चालक के ड्राइविंग लायरेस की सत्यापित छायाप्रति, कार्यालय में जपा कराना आवश्यक है।
15. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन भीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का भी उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। वाहन की लॉगबुक के प्रमाणीकरण के आधार पर ही वाहन के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
16. किराये का भुगतान कार्यालय द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
17. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। टायर ट्यूब सदैव अच्छी हालत में होना चाहिए।
18. यह अनुबंध एक वर्ष के लिये है, सेवाएँ संतोषजनक पाए जाने पर आपसी सहमति से स्वीकृत दरों पर आगे भी बढ़ाया जा सकेगा।

19. निविदा निर्धारित प्रपत्रों में ही भरी जावेगी।
20. किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु सफल निविदाकार द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) बैंक के एफ.डी.आर. जो कि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध हो, संबंधित कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के नाम से देय, अरनेस्ट मनी के रूप में कार्यालय में जमा किया जाना आवश्यक है। यह राशि निविदा के साथ जमा किये वाले रु. 10,000/- के प्रतिमूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।
21. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना होगा। यदि निविदाकार अनुबन्ध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई अरनेस्ट मनी शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।
22. अनुबन्ध अवधि में यदि निविदाकार वाहन उपलब्ध नहीं कराता है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अन्य स्त्रोत से वाहन किराये पर लेता है तो अन्तर की राशि निविदाकार के अरनेस्ट मनी से वसूली योग्य होगी।
23. वाहन मालिक/ड्राइवर को वाहन कार्यालय के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखना होगा। इस हेतु प्रतिदिन वाहन चालक द्वारा वाहन की चाबी संबंधित अधिकारी को वाहन छोड़ने के पूर्व सौंपनी होगी। वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन संबंधित अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार चलाई जावेगी।
24. वाहन चालक 24 घंटे के लिये कार्य पर उपलब्ध होगा। इसकी व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। दो वाहन चालक की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
25. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख-रखाव की जिम्मेदार प्रथम पक्ष की होगी।
26. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति आदि के लिये द्वितीय पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा।
27. निविदाकार द्वारा एक दूरभाष लैण्ड लाइन एवं मोबाइल नम्बर निविदा में लेख किया जावेगा जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।
28. जिस दिनांक को वाहन खराब होने के कारण चालन में नहीं होगा, उस दिन का किराया देय योग्य नहीं होगा। वाहन की खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में द्वितीय पक्ष यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अन्तर की राशि वाहन स्वामी से वसूल होगी।
29. समय पर वाहन न उपलब्ध होने पर अथवा वाहन चालक के संतोषजनक व्यवहार न होने पर समानुपात में भुगतान में कटौती की जावेगी।
30. वाहन चालक को समय का पाबंद होना चाहिए। वाहन चालन के दौरान शराब का सेवन चालक द्वारा नहीं किया जावेगा। चालक को व्यवहार कुशल होना चाहिए।
31. प्रवास के दौरान वाहन में यात्रा संबंधित कोई असुविधा होने पर मालिक अपनी व्यवस्था से गंतव्य स्थान तक स्वयं के व्यय से पहुँचाने एवं लाने हेतु उत्तरदायी रहेगा।
32. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन मालिक की होगी। वाहन से दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का उत्तरदात्वि प्रथम पक्ष का होगा। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष वहन करेगा।
33. वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नहीं किया जावेगा। वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वाहन चालक एवं वाहन स्वामी का उत्तरदायित्व होगा।
34. वाहन मालिक को फर्म/व्यक्ति का PAN एवं GST देना होगा जिसका उल्लेख निविदा/देयकों पर होना अनिवार्य है।

35. किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
36. निविदा में प्रस्तावित दरों में समस्त कर शामिल रहेगा।
37. बिना कोई कारण दर्शाये निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
38. निविदाकार को परिवहन विभाग में सर्विस टैक्स हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदा के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

संचालक  
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,  
जबलपुर (म.प्र.)

## मासिक किराये पर ली जाने वाले वाहनों की सूची (प्रपत्र 1)

अनु.	मासिक किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का विवरण	यूनिट
1	टोयोटा ईनोवा वाहन — ए.सी	Each
2	महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन — ए.सी.	Each
3	महिन्द्रा एक्सयूवी 700 — ए.सी.	Each
4	महिन्द्रा बुलेरो वाहन — ए.सी.	Each
5	महिन्द्रा टीयूवी 300 — ए.सी.	Each

नोट :— वाहन का औसत कम से कम 10 कि.मी. प्रति लीटर होना आवश्यक है, इससे कम औसत का वाहन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

संचालक  
राज्य वन अनुसंधान संस्थान,  
जबलपुर (म.प्र.)